

**Speed post /त्रिव डाक**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: 3047/MCDR-MiFL0PbZn/4/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: /01/2025

**प्रेषित:** खान एजेंट,

मोचिया सीसा-जस्ता खान,

मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,

तहसिल: गिरवा, जिला: उदयपुर

राजस्थान: 313901

(e-mail: [radha.raman@vedanta.co.in](mailto:radha.raman@vedanta.co.in), [Shashi.Shukla@vedanta.co.in](mailto:Shashi.Shukla@vedanta.co.in), [balamurugan.p@vedanta.co.in](mailto:balamurugan.p@vedanta.co.in))

**विषय:** राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी मोचिया सीसा-जस्ता खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 09/12/2024 and 10/12/2024 by undersign in presence of Sri Balamurugan P, Mine Manager and Sri Pankaj Kumar Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
<b>11(1)</b>	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Review of Mining Plan approved on 15/07/2021 to the extent given below for the year 2023-24:</p> <p>(1) A total of 18600 meters of lateral and vertical development was approved at different levels. However, against the mention target development of 10551.71 meters have been achieved.</p> <p>(2) As per approved document and financial assurance plan mill tailing was approved to store in extension of existing old rehabilitated tailing dam and Baroi tailing dam. However, it is observed during the inspection that mill tailing has been stored over non-approved area i.e. on the rehabilitated old tailing dam.</p> <p>(3) Tailing quantity of 410400 tons was proposed to backfill in stope out area. However, against the mention target 573684.2 tons of tailing was backfilled in the stope out area.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर